वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ रेल कॉरीडोर फेस – II परियोजना के लिए उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. रेल लाईन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त रेलवे लाईन निर्माण हेतु धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 97.667 हे. वन भूमि एवं कोरबा वन मंडल अंतर्गत 59.368 हे. वन भूमि; कुल 157.035 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अभिमत तथा उक्त क्षेत्र में हाथियों की उपस्थिति एवं आवागमन को देखते हुए भारत सरकार के गाईड लाईन के तहत प्रस्तावित अण्डर पास / ओव्हर पास बनाये जाने की शर्त पर व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 07/02/2022
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख ,छत्तीसगढ़

Form -4 (Vividh) 2022 (1)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–726/214 दिनांक 07/02/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः – **Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for East Rail Corridor Project Construction of New BG electrified line from Urga to Dharamjaigarh from Km 0 to Km 62 in Korba and Raigarh district in Chhattisgarh, area – 157.035 ha. Reg.**
(पंजीयन कं- FP/CG/RAIL/ 32194/2018)

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक /193 दिनांक 25.01.2022

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 11) – आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ रेल कॉरीडोर फेस – II परियोजना के लिए उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. रेल लाईन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त रेल्वे लाईन निर्माण हेतु धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 97.667 हे. वन भूमि एवं कोरबा वन मंडल अंतर्गत 59.368 हे. वन भूमि; कुल 157.035 हे. आरक्षित, संरक्षित, राजस्व एवं नारंगी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन (हे.)	संरक्षित वन (हे.)	राजस्व वन (हे.)	नरंगी वन भूमि (हे.)	कुल न भूमि
1	धरमजयगढ़	5.096	41.077	51.494	–	97.667
2	कोरबा	–	16.242	35.885	7.241	59.368
योग		**5.096**	**57.319**	**87.379**	**7.241**	**157.035**

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 15) – वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/RAIL/ 32194/2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि नोडल कार्यालय के पत्र दिनांक 12.04.2018 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 58,000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 16 से 22) – धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 97.667 हे. एवं कोरबा वन मंडल अंतर्गत 59.368 हे. वन भूमि, कुल 157.035 हे. आरक्षित, संरक्षित, राजस्व एवं नारंगी वन भूमि छत्तीसगढ़ रेल कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. रेल लाईन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु धरमजयगढ़ एवं कोरबा वन मंडल अंतर्गत प्रभावित वन भूमियों का विस्तृत विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 23 से 28) – छत्तीसगढ़ रेल कॉरीडोर फेस – II परियोजना के लिए उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. रेल लाईन निर्माण हेतु वन मंडलवार निम्नानुसार गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है:–

क्र.	वन मंडल	गैर वन भूमि का विवरण (हे. में)
1	धरमजयगढ़	86.759
2	कोरबा	242.858
	योग	**329.617**

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 29 से 33) – प्रस्तावित वन एवं राजस्व वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50,000 मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 38) – वन एवं राजस्व वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 39 से 61) – प्रपत्र – 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 97.667 हे. वन भूमि एवं कोरबा वन मंडल अंतर्गत 59.368 हे. वन भूमि; कुल 157.035 हे. आरक्षित, संरक्षित, राजस्व एवं नारंगी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु परियोजना की प्रशासकीय लागत 1,68,600 लाख बतायी गई है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 62 से 67) – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 97.667 हे.; एवं कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल अंतर्गत 59.368 हे. वन भूमि; कुल 157.035 हे. वन भूमि छत्तीसगढ़ रेल कॉरीडोर फेस – II परियोजना के लिए उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. रेल लाईन निर्माण के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 68 से 70) – आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 71 से 77) – प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 78 से 116) – मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा ईस्ट रेल कॉरीडोर परियोजना फेस–II उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. तक ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के जारी सूची में रेलवे लाईन बिछाने बाबत पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 117 से 522) – आवेदित क्षेत्र में विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या वन मंडलवार निम्नानुसार है:–

क्र.	वन मंडल का नाम	साईट क्वालिटी	घनत्व	विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या	विदोहित होने वाले बांस भिंरा की संख्या
1	धरमजयगढ़	III & Iva	0.4 से 0.5	30,117	6
2	कोरबा	IVA, IVB	0.2 से 0.6	5,230	1
	योग			**35,347**	**7**

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 523 से 526) – परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 527 से 529) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि / निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है। इस आशय का यूजर एजेंसी प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 530 से 532) – प्रस्तावित परियोजना हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं। इस आशय का आवेदक विभाग का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 533 से 586 तक) – आवेदित वन भूमि धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 97.667 हे. एवं कोरबा वन मंडल अंतर्गत 59.368 हे. वन भूमि, कुल 157.035 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं नारंगी वन भूमि के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत कंदई परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी एफ 312, 313, 314, 316, 317 एवं 318 में रकबा 315.00 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्रतिवेदन 7,98,897/– प्रति हे. की दर से तैयार किया गया है। वनखण्डवार, कक्षवार एवं रकबावार जानकारी प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 587 से 595) – वैकल्पिक वृक्षारोपण वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 596 से 598) – वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 599 से 601) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 602 से 604) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 605 से 608) – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन भूमि प्रस्तावित होने के कारण गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं वन मंडलाधिकारी कोरबा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 609 से 611) – प्रस्ताव रेलवे लाईन निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 612 से 614) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 615 से 617) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 618 से 692) – मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा ईस्ट रेल कॉरीडोर परियोजना फेस–II में प्रस्तावित उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक / 2260 / राजस्व शाखा/ 2020 बिलासपुर दिनांक 01.10.2020 द्वारा जारी व्यवस्थापन प्लान का प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 693 से 725) – भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल द्वारा दिनांक 22.10.2021 को, तथा वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल द्वारा दिनांक 30.12.2021 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं कोरबा वन मंडल के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 25.01.2022 से प्रस्ताव पर इस शर्त पर अनुशंसा की गई है कि **"प्रस्तावित वन क्षेत्र में तेन्दुआ, भालू, तथा अन्य वन्यप्राणी विचरण हेतु रेलवे लाईन के चिन्हित आवागमन स्थानों में अंडर / ओवर पास निर्माण करना प्रस्तावित है। प्रकरण में वन्यप्राणी योजना तैयार कर पृथक से अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जायेगा।"**

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 726 से 728) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं वन मंडलाधिकारी, कोरबा एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 730 से 794) – छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा ईस्ट रेल कॉरीडोर परियोजना फेस–II में प्रस्तावित उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 799 से 796) – जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	जिले का नाम	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)
1	रायगढ़	244804.00
2	कोरबा	283497.00

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 797 से 799) – जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:–

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का रकबा (रकबा हे. में)
1	रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल में प्रभावित वन भूमि	384.974
2	कोरबा	1089.268

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 800 से 802) – जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:–

क्र.	जिले का नाम	प्रकरण संख्या	कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा (रकबा हे. में)
1	रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल में प्रभावित वन भूमि	02	90.553
2	कोरबा	–	–

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 803 से 805) – वन मंडलाधिकारी, धरजकयगढ़ वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा ईस्ट रेल कॉरीडोर परियोजना फेस–II में प्रस्तावित उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण कार्य के 10 कि.मी. परिधि में राष्ट्रीय उद्यान , वन्यप्राणी अभ्यारण्य, ऐतिहासिक महत्व चिन्ह,

मूर्ति या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है। उक्त रेलवे लाईन चिन्हित किया गया है वह क्षेत्र प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र से 3 कि. मी. की दूरी पर आता है एवं वन विभाग, छत्तीसगढ़ कैम्पा द्वारा प्रस्तावित वाईल्ड लाईफ कारीडोर प्रभावित हो रहा है। प्रस्तावित रेलवे लाईन धरमजयगढ़ एवं छाल परिक्षेत्र में जहॉं साल भर हाथी की उपस्थिति और आवागमन होता रहता है। कई जगह पर हाथी दल का उक्त प्रस्तावित रेल लाईन से Crossing नियमित रूप से होते रहता है।

इसी प्रकार वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में हाथी कारीडोर स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित नहीं है। परन्तु प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि. मी परिधि के अंतर्गत 1 से 7 कि. मी. में हाथियों का आवागमन होता रहता है।

वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार उक्त क्षेत्र में हाथियों की उपस्थिति एवं आवागमन को देखते हुए भारत सरकार के गाईड लाईन के तहत अण्डर पास / ओव्हर पास प्रस्तावित किया जाना है जो प्रस्तावित वन्यप्राणी योजना में सम्मिलित किया जावेगा।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 806 से 808) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 809 से 827) – वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण का कलेक्टर रायगढ़ का पत्र दिनांक 20.03.2019 से एवं कलेक्टर, कोरबा का पत्र दिनांक 03.01.2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 828 से 837) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर रायगढ़ द्वारा दिनांक 20.03.2018 एवं कलेक्टर कोरबा द्वारा दिनांक 03.01.2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 838 से 840) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 841 से 843) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 844 से 848) – वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रभावित वनपरिक्षेत्रों में कुल 30,117 नग वृक्ष एवं 6 नग बांस भिर्रा विद्यमान है। जिसका कुल इमारती आयतन 922.315 घन मीटर एवं जलाऊ आयतन 1165.605 घन मीटर है। प्रभावित क्षेत्र में सागौन, साल, बीजा, तिल्सा, चार, पलाश, धावड़ा एवं अन्य मिश्रित जलाऊ प्रजाति के वृक्ष सम्मिलित है।

वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रभावित वनपरिक्षेत्रों में कुल 5231 नग वृक्ष जिसका कुल इमारती आयतन 221.385 घन मीटर एवं जलाऊ आयतन 427.500 घन मीटर है। प्रभावित क्षेत्र में सागौन, साल, बीजा, तिल्सा, चार, पलास, धावड़ा एवं अन्य मिश्रित जलाऊ प्रजाति के वृक्ष सम्मिलित है।

इस क्षेत्र के उपरी सतह प्राकृतिक कारणों से कड़ी मिट्‌टी, बलूई, चिकनी एवं दोमट है, जिसमें ह्यूमस लगभग सामान्य है तथा पानी को रोकने की शक्ति भी सामान्य है, जिसमें वनस्पति विकास दर अत्यलप है एवं मृदा क्षरण की संभावना नहीं है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 849 से 851) – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ तथा वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल के द्वारा दिया गया है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 852 से 854) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 855 से 857) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 858 से 860) – प्रस्तावित रेलवे लाईन के वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में वन्यप्राणी परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। परियोजना प्रस्ताव तैयार होने उपरांत प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत सहित जमा करने हेतु आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 861 से 863) – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का संबंधित वन मंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 864 से 996) – तीन वैकल्पिक रूट एवं उसके औचित्य को दर्शाते हुए मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के उक्त क्षेत्र में हाथियों की उपस्थिति एवं आवागमन को देखते हुए भारत सरकार के गाईड लाईन के तहत प्रस्तावित अण्डर पास / ओव्हर पास बनाये जाने की शर्त पर व्यपवर्तन की अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़

क्र0/भू–प्रबंध/ विविध/115–726/215 रायपुर/ दिनांक 07/02/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक,** बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़, छत्तीसगढ़।
3. **वन मंडलाधिकारी**, कोरबा वन मंडल, कोरबा, छत्तीसगढ़।
4. **मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी,** छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड, द्वितीय तल, सी.एस.आई.डी.सी. काम्पलेक्स, महादेवघाट रोड, रायपुर चौंक, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़